न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री शैतानसिंह राजपुरोहित

आर.टी.एस

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का थूर तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर		श्री कालूसिंह वल्द बलवंतसिंह कौम राजपुत सा.थूर तहसील जसवंतपुरा

प्रकरण संख्याः 01/2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी पटवारी हल्का थूर उपस्थित

अप्रार्थी कालूसिंह वल्द बलवंतसिंह अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 25.06.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का थूर ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम थूर के खसरा नंबर 669 कुल रकबा 0.20 हे. किस्म गै.मु. रास्ता मे 0.20 हे. गै.मु. रास्ता भूमि पर अप्रार्थी श्री कालुसिंह पुत्र बलवंतसिंह कौम राजपुत सा. थूर ने संवत् 2074 में रास्ते पर अतिक्रमण कर क़ब्जा किया है। उक्त अतिक्रमी द्वारा वर्ष 2072 में भी इसी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया था यह आदतन अतिक्रमी है। जिसके समर्थन मे वर्ष 2072 के प्रकरण संख्या 52/15 निर्णय दिनांक 19.11.2015 की छाया प्रति तथा इस निर्णय की पालना में बेदखली मौका रिपोर्ट दिनांक 22.12.2017 की छाया प्रति पेश की तथा अतिक्रमी को बेदखल करने एवं उसके विरूध कानूनी कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया।

पटवारी के प्रार्थना पत्र को राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को निर्धारित प्रारूप में नोटिस जारी कर दिनांक 13.04.2018 को तारीख पेशी नियत की गई। नोटिस अप्रार्थी घर पर नही होने से आबाद मकान चस्पा होकर आया, जो तामिल माना जाता है फिर भी पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 26.04.2018 तारीख पेशी नियत की जिस पर अप्रार्थी बाद तामिल अनुपस्थित रहा एवं दिनांक 27.04.2018 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आगे तारीख पेशी का निवेदन किया जो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे दिनांक 08.05.2018 को केंम्प थूर मे उपस्थित होने हेतु पाबंद किया। दिनांक 08.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केंम्प थूर अप्रार्थी अनुपस्थित रहा, अप्रार्थी शहादत बंद की जाती है एवं दिनांक 08.05.2018 को एक तरफा निर्णय लिया गया।

तहसीलदार जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 08.05.2018 के विरूध निर्णय की अपील श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जालोर के न्यायालय में अपील की गई। प्रकरण संख्या अपील 25/2018 निर्णय दिनांक 25.07.2018 में अपीलान्ट को मौजा थूर के खसरा नंबर 669 रकबा 0.20 हे. किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिकरूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षैत्र के लगान का 50 गुणा 400/– रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया तथा बेदखल करने व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर 3 माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया है।पत्रावली के सलग्न ऐसा कोई ठोस दस्तावेज नही है जिससे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके साथ ही सिविल कारावास का दंड पारित करने से पुर्व अपीलांट को जवाब साक्ष्य सबूत पेश करने का समूचित अवसर दिया जाना चाहिये था। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उक्त प्रकिया का अभाव पाया गया है। प्रकरण तहसीलदार जसवंतपुरा को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उपर वर्णित विवेचनानुसार समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर पुनः नियमानुसार विधी सम्मत आदेश पारित किया जावें।

न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जालोर के निर्णय की पालना में पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को दिनांक 16.10.2018 को नोटिस जारी किया गया नोटिस तामिल में अप्रार्थी अप्रार्थी घरेलु कार्य बाहर होना बताया नोटिस की प्रति खुले आबाद मकान पर चस्पा की गई। दिनांक 14.01.2019 को पुनः नोटिस जारी किया गया नोटिस उनकी पत्नि से तामील होकर प्राप्त हुआ तारीख पेशी दिनांक 28.01.2019 को अप्रार्थी उपस्थित होकर एक प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की मौजा थूर के खसरा नंबर 669 रकबा 0.20 हे. किस्म गै.मु रास्ता पर मुझ कालुसिह द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है खसरा नंबर 669 के लोर लोर दो खातेदारों की जमीन आई हुई है। मुझ कालुसिह द्वारा जमीन खरीद जरिये ली हुई है। पूर्व से लगातार वर्तमान समय तक समान आलामात ही है। मेरे द्वारा मेरे द्वारा जानबुझकर गैमु रास्ते की भूमि को अतिक्रमित नही किया गया है। सेटलमेन्ट टीम द्वारा माप करवाकर स्पष्ट माप निकलवाकर यदि मेरे हिस्से में जमीन अतिक्रमित हुई है तो मेरे द्वारा अविलंब ही कब्जा मुक्त कर दी जायेगी। एवं दिनांक 25.03.2019 पुन नोटिस जारी किया गया तारीख पेशी 18.04.2019 पर कालुसिह द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की पटवार हल्का थूर में मेरी आराजी भूमि के दोनो लोरा लोर के बीच रेकर्ड में गै.मु रास्ता दर्ज है मुझ खातेदार द्वारा जमीन खरीद जरिये ली हुई है। उस समय किसी प्रकार के रास्ता के आलामात नही थें। मेरे द्वारा नही जानबुझकर रास्ते को बंद किया गया है वर्तमान में चुनाव के चलते पैमाईस टीम द्वारा संभव नही है। पूर्व में मौके पर फसल खडी थी। उस समय पैमाईस किया किया जाना संभव नही थी। तथा वर्तमान में लोक सभा चुनाव चलते पैमाईस किया गया जाना संभव नही है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रशिक्षित पैमाईस टीम द्वारा करवाकर एवं रास्ते को चिन्हित करवाकर सरकारी जमीन सुपर्द कर दी जायेगी। अप्रार्थी द्वारा न तो सेटलमेंन्ट टीम से पैमाईस करवायी एवं नही प्रशिक्षित टीम द्वारा करवायी गयी। अप्रार्थी सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर दिया गया। प्रत्येक बार अप्रार्थी 3,4 तारीख में एक बार उपस्थित होकर अतिक्रमण को छुपाने के नाजायज बहाने बाजी कर न्याय को भटकानें एवं दिग्भ्रमित करने की अवैध कोशिश करता रहा है।

तहसीलदार जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया तथा निरीक्षक भू–अ चांदूर की रिपोर्ट तथा पटवारी हल्का के बयान व उसके द्वारा गत वर्ष 2072 में अप्रार्थी के विरूध की गई कार्यवाही गत वर्ष प्रकरण सं. 52/15 के निर्णय व बेदखली पालना का अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सरकारी भूमि पर बार बार अतिकमण करने का आदी है अतः उसे राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 (2) के प्रावधानों के अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी श्री कालुसिह पुत्र श्री बलवंतसिह कौम राजपुत सा. थूर को 3 माह यानि 90 दिन का सिविल कारावास से दण्डित किया जाता है तथा लगान का 50 गुणा 400/– रूपए जुर्माना आरोपित किया जाता है एवं बेदखली के आदेश दिये जाते है। यदि अतिकमी निर्णय के विरूध अपील करना चाहता है तो 30 दिन की समयावधि में अपना निर्धारित बॉण्ड भरकर न्यायालय में प्रस्तुत करे। अवधि पश्चात् निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावे। जुर्माना की मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे तथा अप्रार्थी को मौके पर से बेदखल करने तथा जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू–अ को लिखा जावें।

निर्णय दिनांक 25.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल दफतर दाखिल हो।

तहसीलदार जसवंतपुरा

तहसीलदार जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner